भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशनार्थ

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण

दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008

(2008 का संख्यांक 2)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 मार्च, 2008

सं0 301–14/2008–आर्थिक––भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 (1997 का 24) की धारा 11 की उप–धारा (1) के खंड (ख) उप–खंड (i) के साथ पठित उक्त धारा के उप–खंड (2) के अधीन भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 में और संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश बनाता है, अर्थात्:–

1. (1) इस आदेश को दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 कहा जाएगा।

(2) यह आदेश 17 मार्च, 2008 को प्रवृत्त होगा।

2. दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 की अनुसूची XI में,

(क) मद 1 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ के स्थान पर, उस मद के सामने निम्नलिखित टैरिफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

टैरिफ
''मद 1 के सामने निर्दिष्ट प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 500 रू0 तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 1000 रू0'';

(ख) मद 2 के सामने विनिर्दिष्ट टैरिफ के स्थान पर, उस मद के सामने निम्नलिखित टैरिफ प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :–

टैरिफ
''मद 2 के सामने निर्दिष्ट प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 500 रू0 तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए 1000 रू0।''

[एम. कन्नन]
सलाहकार (आर्थिक)

टिप्पणी 1 – दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 दिनांक 09 मार्च, 1999 की अधिसूचना संख्या 99/3 के अंतर्गत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित हुआ था तथा इसमें तत्पश्चात् निम्नलिखित अधिसूचनाओं द्वारा संशोधन किए गएः–

संशोधन संख्या	**अधिसूचना संख्या और तारीख**
पहला	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.1999
दूसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
तीसरा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.5.1999
चौथा	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.7.1999
5वां	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 17.9.1999
6वां	301–4/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.9.1999
7वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.3.2000
8वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 31.7.2000
9वां	301–8/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.8.2000
10वां	306–1/99–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 9.11.2000
11वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 25.1.2001
12वां	301–9/2000–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.1.2001
13वां	303–4/ट्राई–2001 दिनांक 1.5.2001
14वां	306–2/ट्राई–2001 दिनांक 24.5.2001
15वां	310–1(5)/ट्राई–2000 दिनांक 20.7.2001
16वां	310–5(17)/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.8.2001
17वां	301/2/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 22.1.2002
18वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 30.1.2002
19वां	303/3/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 28.2.2002
20वां	312–7/2001–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 14.3.2002
21वां	301–6/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 13.6.2002
22वां	312–5/2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 4.7.2002

23वां	303 / 8 / 2002–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 6.9.2002
24वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 24.1.2003
25वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 12.3.2003
26वां	306–2 / 2003–आर्थिक दिनांक 27.3.2003
27वां	303 / 6 / 2003–ट्राई (आर्थिक) दिनांक 25.4.2003
28वां	301–51 / 2003–आर्थिक दिनांक 5.11.2003
29वां	301–56 / 2003–आर्थिक दिनांक 3.12.2003
30वां	301–4 / 2004 (आर्थिक) दिनांक 16.1.2004
31वां	301–2 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.7.2004
32वां	301–37 / 2004–आर्थिक दिनांक 7.10.2004
33वां	301–31 / 2004–आर्थिक दिनांक 8.12.2004
34वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 11.3.2005
35वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 31.3.2005
36वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 21.4.2005
37वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.5.2005
38वां	312–7 / 2003–आर्थिक दिनांक 2.6.2005
39वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 8.9.2005
40वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 16.9.2005
41वां	310–3(1) / 2003–आर्थिक दिनांक 29.11.2005
42वां	301–34 / 2005–आर्थिक दिनांक 7.3.2006
43वां	301–2 / 2006–आर्थिक दिनांक 21.3.2006
44वां	301–34 / 2006–आर्थिक दिनांक 24.1.2007
45वां	301–18 / 2007–आर्थिक दिनांक 5.6.2007
46वां	301–36 / 2007–आर्थिक दिनांक 24.1.2008

टिप्पणी 2 – व्याख्यात्मक ज्ञापन दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 के लिए उददे्श्यों और कारणों की व्याख्या करता है।

दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 का व्याख्यात्मक ज्ञापन

पृष्ठभूमिः

भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) ने अवांछित टेलीमार्केटिंग कॉलों को नियंत्रित करने के लिए 05 जून, 2007 को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) बनाए थे तथा इस प्रकार उसने बुनियादी टेलीफोन अथवा सेल्यूलर मोबाइल टेलीफोन सेवाओं के सब्सक्राइबरों को अवांछनीय टेलीमार्केटिंग कॉलों/संदेशों से होने वाली परेशानी और असुविधा को कम किया था।

2. प्राधिकरण ने राष्ट्रीय कॉल–न–करें (एनडीएनसी) रजिस्ट्री स्थापित की है जोकि अक्तूबर, 2007 से कार्य कर रही है। एनडीएनसी को राष्ट्रीय सूचना–विज्ञान केन्द्र (एनआईसी), संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रचालित और अनुरक्षित किया जा रहा है। टेलीमार्केटरों को टेलीमार्केटिंग कॉलें करने से पूर्व अपने कॉलिंग टेलीफोन नम्बरों की सूची का सत्यापन एनडीएनसी से करना अपेक्षित है। सब्सक्राइबर अपने टेलीफोन नम्बरों को अपने संबंधित सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एनडीएनसी में सूचीबद्ध कर सकते हैं। संबंधित सेवा प्रदाता अनुरोध प्राप्त करने के तीस दिन के भीतर टेलीफोन नम्बर को एनडीएनसी में शामिल कर देंगे।

3. सभी टेलीमार्केटरों को संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास स्वयं को पंजीकृत कराना अपेक्षित है। एनडीएनसी रजिस्ट्री में ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा उपलब्ध है।

4. प्राधिकरण, सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तथा एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड टेलीकॉम सर्विसेज ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) ने एनडीएनसी में पंजीकरण करने की पद्धति को अग्रणी दैनिक समाचारपत्रों में विज्ञापित किया था। कॉल सेंटर नम्बर/शार्ट मैसेज सर्विस (एसएमएस) नम्बर, जिन पर पंजीकरण कराया जा सकता है, संबंधित सेवा प्रदाताओं की वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। इनका अवलोकन वेबसाइट www.ndncregistry.gov.in पर भी किया जा सकता है। दूरसंचार विभाग ने उपभोक्ताओं के नम्बर एनडीएनसी में दर्ज करने के लिए उन्हें आसान पहुंच सुलभ कराने के हेतु चार अंको का एक विशेष कोड '1909' भी आवंटित किया है।

5. प्राधिकरण ने "दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सेवा प्रदाताओं के साथ अनेक बैठकें भी कीं।

6. अभी तक, 8.3 मिलियन से अधिक फोन प्रयोक्ताओं ने एनडीएनसी रजिस्ट्री में "कॉल न करें" के लिए पंजीकरण करवा लिया है। लगभग 13600 टेलीमार्केटरों ने संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (दूरसंचार विभाग) के पास स्वयं को पंजीकृत करा लिया है। अपनी कॉलिंग सूची की जांच करने के लिए रोजाना लगभग 600 टेलीमार्केटरों द्वारा एनडीएनसी का उपयोग किया जा रहा है। टेलीमार्केटरों द्वारा जांच करने के लिए दर्ज किए गए लगभग 1522 मिलियन नम्बरों में से, एनडीएनसी द्वारा 1411 मिलियन नम्बरों को कॉल करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

7. प्राधिकरण के पास दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) को अधिसूचित किए जाने के बाद भी उपभोक्ताओं को परेशान किए जाने के संबंध में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

8. जैसाकि दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) के व्याख्यात्मक ज्ञापन के पैरा 7 में पहले ही कहा गया है, टेलीमार्केटिंग कॉलों ने हमारी संसद, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक तथा दिल्ली के राज्य आयोग (उपभोक्ता) का ध्यान आकर्षित किया है। इसके अलावा, टेलीमार्केटिंग कॉलों के बारे में प्राधिकरण को भी उपभोक्ताओं से अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। वर्तमान स्थिति अपेक्षित स्तर की तुलना में अत्यंत निम्न स्तर पर है तथा दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) का गैर–अनुपालन निरंतर जारी है क्योंकि प्रभावी वित्तीय प्रतिबंधों के लिए इसमें कोई प्रावधान नहीं है।

9. पंजीकृत टेलीमार्केटरों को भी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने से हतोत्साहित करने के उद्देश्य से, दूरसंचार टैरिफ आदेश, 1999 को भी दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 द्वारा संशोधित किया जा रहा है ताकि यह उपबंध किया जा सके कि प्रत्येक अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण हेतु [बुनियादी सेवाओं (आईएसडीएन के अलावा) तथा सेल्युलर मोबाइल दूरसंचार सेवा (सीएसटीएस) से किए गए] प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ के रूप में पांच सौ रुपये देय होंगे तथा प्रत्येक पश्चात्वर्ती अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए टैरिफ के रूप में एक हजार रुपये देय होंगे।

10. प्राधिकरण आशा करता है कि प्रत्येक पहले अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण के लिए पांच सौ रुपये तथा प्रत्येक पश्चातवर्ती अवांछनीय व्यासवसायिक संप्रेषण के लिए एक हजार रुपये के टैरिफ की उच्च दर अधिसूचित करने से उपभोक्ताओं एवं सेवा प्रदाताओं के हितों का संरक्षण किया जा सकेगा तथा इससे दूरसंचार क्षेत्र का व्यवस्थित विकास सुकर हो सकेगा।

11. अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने के लिए टेलीमार्केटरों द्वारा भुगतान किए जाने वाले उपर्युक्त उच्च टैरिफ के साथ–साथ सेवा प्रदाताओं को भी अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण भेजने के प्रति हतोत्साहित किए जाने के उद्देश्य से दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण विनियम, 2007 (2007 का 4) को दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (संशोधन) विनियम, 2008 द्वारा संशोधित किया जा रहा है ताकि वित्तीय हतोत्साहन के माध्यम से ऐसे सेवा प्रदाता, जो उक्त विनियमों के कतिपय उपबंधों का उल्लंघन करते हैं, द्वारा संदाय की जाने वाली उनमें उल्लिखित कतिपय राशियों के भुगतान का उपबंध किया जा सके। दूरसंचार टैरिफ (सैंतालीसवां संशोधन) आदेश, 2008 तथा दूरसंचार अवांछनीय व्यावसायिक संप्रेषण (संशोधन) विनियम, 2008 का उद्देश्य उक्त विनियमों की प्रभाविता और अनुपालन में सुधार करना है।

****